



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1597]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 21, 2019/वैशाख 31, 1941

No. 1597]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 21, 2019/VAISAKHA 31, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2019

का.आ.1789(अ).—जबकि, करों के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मार्शल आइलैंड गणराज्य की सरकार के बीच करार (जिसे इसके बाद उक्त करार कहा गया है), जैसा कि इस अधिसूचना में अनुबंध में दिया गया है, पर मजूरो, मार्शल आइलैंड गणराज्य में 18 मार्च, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि, उक्त करार 6 दिसम्बर, 2018 को प्रवृत्त हुआ था, जो कि उक्त करार के अनुच्छेद 10 के अनुसार, उक्त करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त करार के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

अनुबंध

कर मामलों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान

हेतु

भारत गणराज्य की सरकार

और

मार्शल आइलैंड गणराज्य की सरकार

के बीच

करार

भारत गणराज्य की सरकार और मार्शल आइलैंड गणराज्य की सरकार, करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाने की इच्छा से निम्नानुसार सहमत हुई हैं :-

अनुच्छेद 1

करार का उद्देश्य एवं कार्य-क्षेत्र

संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराएंगे, जो कि इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में संविदाकारी पक्षों के घरेलू कानूनों के प्रशासन एवं प्रवर्तन से संबंधित हैं। ऐसी सूचना में वह जानकारी शामिल होगी जो ऐसे करों के निर्धारण, मूल्यांकन और वसूली, कर दावों की वसूली और प्रवर्तन अथवा कर मामलों की जांच-पड़ताल या अभियोजन के लिए सुसंगत है। इस करार के उपबंधों के अनुसार सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा। अनुरोधित पक्ष के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त कराए गए अधिकार और रक्षोपाय उस सीमा तक प्रयोज्य रहेंगे जहां तक कि वे सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान में अनुचित रूप से बाधा न डालें अथवा उसे लम्बित न करें।

अनुच्छेद 2

क्षेत्राधिकार

सूचना का आदान-प्रदान इस करार के अनुसार, इस बात का ध्यान किए बिना किया जाएगा कि वह व्यक्ति जिससे यह सूचना संबंधित है अथवा जिसके द्वारा सूचना धारित की गई है, किसी एक संविदाकारी पक्ष का निवासी है। तथापि, अनुरोधित पक्ष ऐसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए बाध्यकारी नहीं है जो न तो उसके प्राधिकारियों के पास है और न ही उन व्यक्तियों के पास अथवा नियंत्रण में है, जो उसके राज्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में हैं।

अनुच्छेद 3

सम्मिलित कर

1. कर, जो इस करार के विषय हैं, इस प्रकार हैं :
 - क) भारत में, केन्द्रीय सरकार अथवा राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की सरकारों द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार तथा विवरण के कर, इस बात का विचार किए बिना कि वे किस तरीके से लगाए गए हैं ;
 - ख) मार्शल आइलैंड गणराज्य में केन्द्रीय/संघीय सरकार अथवा राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की सरकारों द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार तथा विवरण के कर, इस बात का विचार किए बिना कि वे किसी तरीके से लगाए गए हैं।
2. यह करार, विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर इस करार के हस्ताक्षरित होने की तारीख के बाद लगाए गए किन्हीं समरूप अथवा पर्याप्त रूप से समान करों पर भी लागू होगा। संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी कराधान और संबंधित सूचना एकत्र करने वाले उपायों के संबंध में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे, जो इस करार के अनुसरण में उस पक्ष की बाध्यताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

अनुच्छेद 4

परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक कि अन्यथा परिभाषित न किया जाए :
 - क) पद "भारत" से तात्पर्य भारत का भू-क्षेत्र और इसकी सीमा के अंतर्गत समुद्र और उसके ऊपर का हवाई क्षेत्र तथा कोई अन्य समुद्रवर्ती क्षेत्र है जिस पर भारतीय कानून के अनुसार तथा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत का प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार हैं;

- ख) पद "मार्शल आइलैंड गणराज्य" से तात्पर्य मार्शल आइलैंड गणराज्य की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर किसी भू-राज्य क्षेत्र से है और उसमें मार्शल आइलैंड गणराज्य का आंतरिक जल एवं राज्य क्षेत्रीय समुद्र शामिल है ;
- ग) पद "संविदाकारी पक्ष" से तात्पर्य भारत अथवा मार्शल आइलैंड गणराज्य की सरकार है जैसा भी संदर्भानुसार अपेक्षित हो ;
- घ) पद "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य -
- (i) भारत के मामले में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं ;
 - (ii) मार्शल आइलैंड गणराज्य के मामले में वित्त सचिव अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि है;
- ङ) पद "व्यक्ति" में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का समूह और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी पक्षों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत कराधेय इकाई के रूप में माना जाता है ;
- च) पद "कम्पनी" से तात्पर्य कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय माना जाता है ;
- छ) पद "सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनी" से तात्पर्य ऐसी किसी कम्पनी से है जिसके शेयरों का प्रमुख वर्ग किसी मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है बशर्ते उसके सूचीबद्ध शेयर सहज ही जनता द्वारा क्रय अथवा विक्रय किए जा सकते हों । शेयर "जनता द्वारा" क्रय अथवा विक्रय तभी किए जा सकते हैं यदि शेयरों का यह क्रय अथवा विक्रय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों ;
- ज) पद "शेयरों का प्रमुख वर्ग" से तात्पर्य वोट देने की शक्ति का बहुमत और कम्पनी के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों के वर्ग अथवा वर्गों से है;
- झ) पद "कर" से तात्पर्य ऐसा कर है, जिस पर यह करार लागू होता है ;
- ञ) पद "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से तात्पर्य है -
- (i) भारत में, भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज ;
 - (ii) यह स्वीकार किया जाता है कि मार्शल आइलैंड गणराज्य में कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है ;
 - (iii) कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज, जिसे सक्षम प्राधिकारी इस करार के प्रयोजनार्थ मान्यता देने के लिए सहमत हों ;
- ट) पद "सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना" से तात्पर्य किसी सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना से है बशर्ते कि ऐसी निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को जनता द्वारा सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है । निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को "जनता द्वारा" सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है यदि ऐसी खरीद, बिक्री अथवा पुनः प्राप्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों ;
- ठ) पद "अनुरोध करने वाले पक्ष" से तात्पर्य, उस संविदाकारी पक्ष से है जो अनुरोधित पक्ष से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करता है अथवा उनसे सूचना प्राप्त करता है ;
- ड) पद "अनुरोधित पक्ष" से तात्पर्य उस संविदाकारी पक्ष से है जिससे सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है अथवा जिसने सूचना उपलब्ध कराई है ;

- ण) पद "सूचना एकत्र करने वाले उपाय" से तात्पर्य कानूनी और प्रशासनिक अथवा न्यायिक कार्य प्रक्रियाओं से है जो किसी संविदाकारी पक्ष को अनुरोध की गई जानकारी प्राप्त करने और उपलब्ध कराने में सक्षम बनाते हैं ;
- त) पद "सूचना" से तात्पर्य कोई तथ्य, विवरण, दस्तावेज अथवा रिकार्ड से है, चाहे वह किसी भी रूप में हो ।

2. जहां तक किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का संबंध है, इसमें परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, अथवा संविदाकारी पक्ष इस करार के अनुच्छेद -9 के उपबंधों के अनुसरण में किसी आम अर्थ पर सहमत न हो, वही अर्थ होगा जो उस पक्ष के कानून के तहत उस समय है, उस पक्ष के प्रयोज्य कर कानूनों के अंतर्गत कोई अर्थ उस पक्ष के अन्य कानूनों के तहत पद को दिए गए अर्थ की तुलना में अभिभावी रहता है ।

अनुच्छेद 5

अनुरोध पर सूचना का आदान-प्रदान

1. अनुरोध किए जाने पर अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुच्छेद 1 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए सूचना उपलब्ध कराएगा । ऐसी सूचना का आदान-प्रदान इस बात का विचार किए बिना किया जाएगा कि क्या अनुरोध करने वाले पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर-प्रयोजनों के लिए है अथवा क्या वह आचरण जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है, वह अनुरोधित पक्ष के अंतर्गत अपराध होगा यदि ऐसा आचरण अनुरोधित पक्ष में घटित होता है ।

2. यदि अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के आधिपत्य में कोई सूचना पर्याप्त रूप से इस प्रकार उपलब्ध नहीं है कि वह सूचना के लिए किए गए अनुरोध को पूरा करने में समर्थ हो तो वह पक्ष, अनुरोध करने वाले पक्ष को अनुरोधित सूचना को उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रासंगिक सूचना एकत्र करने के उपायों का प्रयोग करेगा इस बात का ध्यान किए बिना कि अनुरोधित पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए नहीं भी हो सकती है ।

3. यदि अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है तो अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी गवाहों के अभिसाक्ष्य तथा मूल रिकार्डों की अधिप्रमाणित प्रतियों के रूप में अपने घरेलू कानूनों के तहत अनुज्ञेय सीमा तक, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराएगा ।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सक्षम प्राधिकारी को, इस करार के प्रयोजनार्थ अनुरोध पर निम्न को प्राप्त करने और उपलब्ध कराने का प्राधिकार है :

- क) बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, किसी एजेंसी अथवा न्यासी क्षमता में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति, जिसमें नामजद व्यक्ति और न्यासी भी शामिल है, द्वारा धारित कोई सूचना ;
- ख) कम्पनियों के कानूनी और लाभग्राही स्वामित्व, भागीदारी, सामूहिक निवेश निधियाँ अथवा स्कीमें, न्यास, फाउंडेशन, "आन्सटालटन" और अन्य व्यक्ति, संबंधी सूचना जिनमें अनुच्छेद 2 की सीमाओं के अंतर्गत किसी स्वामित्व शृंखला में सभी ऐसे व्यक्तियों की स्वामित्व सूचना; सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के मामले में, शेयरों, यूनितों और अन्य हितों के बारे में सूचना; न्यासों के मामले में अवस्थापक, संरक्षकों न्यासियों और लाभभोगियों के संबंध में सूचना, संस्था के मामले में संस्थापकों, संस्था परिषद के सदस्यों और लाभग्राहियों के बारे में सूचना; और ऐसी सत्ताओं के बारे में ऐसी ही जानकारी जो न तो न्यास हैं और न ही संस्था है ।

5. यह करार सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनियों अथवा सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के संबंध में स्वामित्व संबंधी सूचना प्राप्त करने अथवा उपलब्ध कराने के लिए संविदाकारी पक्षों को बाध्य नहीं बनाती जब तक कि ऐसी सूचना विषम कठिनाईयाँ उत्पन्न किए बिना प्राप्त की जा सकती हो ।

6. अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी अनुरोध के साथ सूचना की अनुमानित प्रासंगिकता का प्रदर्शन करने के लिए करार के तहत सूचना के लिए अनुरोध करते समय अनुरोध किए जाने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएंगे :

- क) जांच अथवा पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान ;
- ख) वह अवधि, जिसके लिए सूचना का अनुरोध किया गया है ;
- ग) अनुरोध की गई सूचना का स्वरूप तथा वह प्रारूप जिसमें अनुरोध करने वाला पक्ष उसे प्राप्त करने को प्राथमिकता देगा ;
- घ) कर प्रयोजन जिसके लिए सूचना मांगी गई है;
- ड.) यह विश्वास करने के कारण कि अनुरोध की गई सूचना अनुरोधित पक्ष के पास है अथवा अनुरोधित पक्ष के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा नियंत्रण में है ;
- च) जहां तक संभव हो किसी व्यक्ति का नाम और पता, जिसके पास अनुरोधित सूचना होने अथवा उसके नियंत्रण में होने का अनुमान है ; और
- छ) यह विवरण देते हुए कि अनुरोधकर्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधन अपनाए हैं, सिवाए उनके, जो अत्यधिक कठिनाईयों को बढ़ाएंगे।

7. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी शीघ्रातिशीघ्र अनुरोधित सूचना को अनुरोधकर्ता पक्ष को अग्रेषित करेगा। शीघ्र प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न कार्य करेगा :

- क) अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध प्राप्ति की पुष्टि करेगा तथा अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अनुरोध में कमियों के बारे में, यदि कोई हों, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा ।
- ख) यदि अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोध की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर सूचना को प्राप्त करने एवं प्रदान करने में असमर्थ होता है, जिसमें सूचना को प्रस्तुत करने में पेश आई बाधाएं शामिल हैं अथवा वह सूचना प्रदान करने से इंकार करता है तो वह तत्काल अपनी असमर्थता, बाधाओं के स्वरूप अथवा अपनी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुरोधकर्ता पक्ष को सूचित करेगा ।

अनुच्छेद 6

विदेश में कर जांच

1. अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर अनुरोधित पक्ष, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अपने अन्तरदेशीय कानूनों के तहत अनुमत्य सीमा तक, व्यक्तियों अथवा अन्य संबंधित व्यक्तियों की पूर्व लिखित सहमति से व्यक्तियों के साक्षात्कार हेतु और रिकार्डों की जांच करने के लिए अनुरोधित पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है । अनुरोधकर्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी, संबंधित व्यक्तियों के साथ अभिप्रेत बैठक के समय एवं स्थान के बारे में अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा ।

2. अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, अनुरोधित पक्ष, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अनुरोधित पक्ष में कर जांच के उपयुक्त भाग में प्रस्तुत रहने की अनुमति दे सकता है, जिस मामले में अनुरोधित पक्ष के जांच कर रहे सक्षम प्राधिकारी, जांच के संबंध में समय एवं स्थान, जांच करने के लिए प्राधिकारी अथवा नामोदिष्ट अधिकारी तथा जांच कार्य आरंभ करने के लिए अनुरोधित पक्ष द्वारा अपेक्षित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचित करेगा । कर जांच करने के संबंध में सभी निर्णय जांच संचालित करने वाले पक्ष द्वारा किए जाएंगे ।

अनुच्छेद 7

सूचना हेतु अनुरोध को अस्वीकार करने की संभावना

1. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न के संबंध में सहायता करने के लिए मना कर सकता है :
 - क) जहां अनुरोध इस करार के अनुरूप नहीं किया गया हो ; अथवा
 - ख) जहां अनुरोधकर्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधनों का अनुप्रयोग नहीं किया हो, सिवाय उनके जहां ऐसे साधनों का आश्रय लेने से अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होगी ; अथवा
 - ग) जहां सूचना का प्रकटन अनुरोधित पक्ष की लोक नीति (ऑर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल होगा ।
2. यह करार एक संविदाकारी पक्ष पर निम्न बाध्यता को अधिरोपित नहीं करेगा :
 - i) ऐसी सूचना देना जो किसी व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया को प्रकट करेगी, बशर्ते कि अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 में वर्णित सूचना को सिर्फ इस कारण से ऐसे गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया के रूप में नहीं समझा जाएगा कि यह उस पैराग्राफ में वर्णित मापदण्ड को पूरा करती है; अथवा
 - ii) ऐसी सूचना प्राप्त करना अथवा प्रदान करना जो एक ग्राहक और अधिवक्ता, प्रतिवक्ता अथवा अन्य स्वीकृत कानूनी प्रतिनिधि के बीच गोपनीय बातचीत को प्रकट करेगा, जहां ऐसी बातचीत को :
 - (क) कानूनी सलाह मांगने अथवा उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया हो; अथवा
 - (ख) मौजूदा अथवा अपेक्षित कानूनी कार्यवाहियों में प्रयोग के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया हो ; अथवा
 - iii) प्रशासनिक उपाय करना जो इसके कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर हों, बशर्ते कि इस उप पैराग्राफ में कुछ भी अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 के अंतर्गत एक संविदाकारी पक्ष की बाध्यताओं पर कोई प्रभाव डालेगा ।
3. सूचना हेतु अनुरोध को इस आधार पर मना नहीं किया जाएगा कि कर दावा जिसके संबंध में अनुरोध किया गया है, विवादित है ।
4. अनुरोधित पक्ष से उस सूचना को प्राप्त करने अथवा प्रदान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जिसे अनुरोधकर्ता पक्ष प्रशासनिक प्रयोजन के लिए अथवा अपने स्वयं के कर कानूनों को लागू करने के लिए अथवा इस करार के अंतर्गत अनुरोधित पक्ष से वैध अनुरोध के प्रत्युत्तर में अपने स्वयं के कानूनों के तहत इसी तरह की परिस्थितियों में प्राप्त करने के लिए असमर्थ होगा ।
5. यदि सूचना को अनुरोधित पक्ष के कानून के अनुसार अन्यथा उपलब्ध कराया जा सकता है तो अनुरोधित पक्ष केवल इस कारण से सूचना उपलब्ध कराने से मना नहीं करेगा कि अनुरोध में अनुच्छेद 5 के तहत अपेक्षित समस्त सूचना शामिल नहीं है ।

अनुच्छेद 8

विधान का क्रियान्वयन

संविदाकारी पक्ष किसी विधान को अधिनियमित करेंगे जो करार की शर्तों के अनुपालन, और उसे लागू करने के लिए आवश्यक हो । ऐसे विधान को इस करार के लागू होने के छह महीने में अधिनियमित किया जाएगा ।

अनुच्छेद 9

पारस्परिक करार पद्धति

1. जहां संविदाकारी पक्षों के बीच करार को लागू करने अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में कठिनाइयाँ अथवा संदेह उत्पन्न होती है वहां सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से मामले को हल करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद 5 और 6 के तहत प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं पर पारस्परिक रूप से सहमत होंगे।
2. संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के तहत सहमति पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे से सीधे बातचीत करेंगे।

अनुच्छेद 10

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी पक्ष इस करार को प्रवृत्त करने के लिए अपने-अपने कानूनों के तहत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए राजनयिक माध्यमों के जरिए लिखित में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।
2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख को लागू होगा और तदन्तर तुरंत प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 11

गोपनीयता

1. इस करार के अंतर्गत एक संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्त की गई किसी सूचना को गोपनीय समझा जाएगा और इसे सिर्फ संबंधित संविदाकारी पक्ष के क्षेत्राधिकार में व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय एवं प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा, जो इस करार में शामिल करने के संबंध में उसके निर्धारण अथवा उनकी वसूली अथवा उसके संबंध में प्रवर्तन अथवा अभियोजन अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण से संबंधित हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी, ऐसी सूचना का प्रयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे। वे ऐसी सूचना को सार्वजनिक न्यायालय संबंधी कार्यवाहियों अथवा न्यायिक-निर्णयों में प्रकट कर सकते हैं। सूचना को अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी की तुरंत लिखित सहमति के बगैर किसी अन्य व्यक्ति अथवा हस्ती अथवा प्राधिकारी अथवा किसी अन्य क्षेत्राधिकार को (जिसमें विदेशी सरकार शामिल हैं) प्रकट नहीं किया जाएगा।
2. पैराग्राफ 1 में उल्लिखित सूचना को विदेशी मुद्रा के संबंध में यह करार किसी अधिकारी, प्राधिकारी अथवा निकाय को ऐसी सूचना प्रकट करने तथा सूचना का प्रयोग करने की अनुमति भी देता है, जो किसी कानून के अंतर्गत किसी कर, शुल्क या उपकर लागू करने, विदेशी मुद्रा में कार्य करने, स्वापक औषधियों तथा मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध प्रवाह को रोकने, अथवा भ्रष्टाचार, आतंकवादी कार्यकलापों अथवा धनशोधन की रोकथाम से संबंधित कार्य कर रहे हैं।
3. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के होते हुए भी एक संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्त की गई सूचना को ऐसे दूसरे व्यक्ति को प्रकट किया जा सकता है और ऐसे दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जैसा भी दोनों पक्षों के कानूनों के तहत स्वीकार्य हो और सूचना सप्लाई करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

अनुच्छेद 12

समापन

1. यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष इसे समाप्त नहीं कर देता है।
2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष राजनयिक माध्यमों के जरिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को समापन की एक लिखित सूचना भेज कर करार को समाप्त कर सकता है।

रजत बंसल, संयुक्त सचिव